छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 704/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 28.08.2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :– वर्ष 2017–2018 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2018–2019 के बजट प्रस्ताव भेजने बावत्

संदर्भ :– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 338/वित्त/ब–4/2017 दिनांक 14.06.2017

संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–2019 के बजट कार्यक्रम की सूचना आपको प्रेषित की गई है। विभाग द्वारा वर्ष 2017–2018 के पुनरीक्षित तथा वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमान प्रस्ताव निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखते हुए तैयार किए जाएं–

1. प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए।
2. मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, उपमुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, योजना क्रमांक, उद्देश्य शीर्ष तथा विस्तृत शीर्ष के अनुक्रम में प्रस्ताव भेजा जाए।
3. लघु शीर्षवार एवं योजनावार योग किया जाए।
4. बजट प्रस्ताव के साथ औचित्य प्रतिपादित किया जाए।
5. नवीन व्यय के मद को बजट प्रस्ताव में पृथक से भेजा जाए।
6. राजस्व व्यय एवं पूँजीगत् व्यय का सही वर्गीकरण दर्शाया जाए।

विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण कर संलग्न प्रपत्र में दो प्रतियों में (हार्ड कॉपी में) एवं साफ्ट कॉपी में बजट प्रस्ताव (नवीन मद के प्रस्ताव सहित) दिनांक 25 सितंबर, 2017 के पूर्व इस विभाग को अनिवार्यतः भेजने का कष्ट करें।

बजट प्रस्ताव तैयार करने संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(संतोष पाण्डेय) 28/8/17
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 705/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 28.08.2017

प्रतिलिपिः–

1. समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार बजट प्रस्ताव नियत समय पर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेवसाईट में अपलोड करने हेतु ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(अरविन्द कुजूर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

वर्ष 2018–2019 का बजट तैयार करने के लिए दिशा–निर्देश

1. बजट प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही बनाए जाएं।

2. विनियोग लेखे के लिए विभागों द्वारा महालेखाकार से वर्ष 2016–2017 के आय–व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान पूर्ण करा लिया गया होगा । **बजट प्रस्ताव में 01.04.2016 से 31.03.2017 तक महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक व्यय के आंकड़े मदवार अंकित करें।**

3. वर्ष 2017–2018 के बजट अनुमान के मदवार आंकड़े संलग्न प्रपत्र पर अंकित हैं। कृपया इनकी सत्यता सुनिश्चित कर लें। **कोई विसंगति होने पर वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाए।**

4. वर्ष 2017–2018 के पुनरीक्षित अनुमान के आकलन हेतु विगत् 12 माह का वास्तविक व्यय आवश्यक है । **अतः 01.08.2016 से 31.03.2017 (08 माह) तथा 01.04.2017 से 31.07.2017 (04 माह) तक, इस प्रकार कुल 12 माह के वास्तविक आंकड़े अंकित करें तथा उक्त आधार पर ही पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्ताव बनायें।**

5. वर्ष 2016–2017 के वास्तविक व्यय तथा 2017–2018 के पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर ही वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमान के संबंध में प्रस्ताव दें। वर्ष 2017–2018 के बजट प्रावधान का अधिकतम 07 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2018–2019 का बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए।

6. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 488/2005/ब–1/चार दिनांक 31 मार्च, 2005 द्वारा नवीन एवं युक्तिसंगत उद्देश्य एवं विस्तृत शीर्ष की सूची जारी की गई है। **यदि आपके विभाग के विद्यमान बजट में कोई आवश्यक उद्देश्य अथवा विस्तृत शीर्ष की आवश्यकता हो तो पुनरीक्षित अनुमान के प्रस्ताव में उसे आवश्यक रूप से शामिल करना सुनिश्चित किया जाए**

7. **वास्तविक लेखा, पुनरीक्षित अनुमान तथा बजट अनुमान के बीच यदि उल्लेखनीय अंतर आता है, तो कारण स्पष्ट करते हुए पृथक से स्पष्टीकरण टीप संलग्न करें।** आवश्यकतानुसार संख्यात्मक जानकारी देते हुए गणना पत्रक भी संलग्न करें (जैसे–अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, मूल वेतन मंहगाई भत्ता आदि), जिससे प्रस्तावित राशि का औचित्य सिद्ध हो सके। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के व्यक्तिगत स्वत्वों की गणना वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की जाए।

8. इस विभाग के पत्र क्रमांक 535/वित्त/ब–4/2017 दिनांक 18.07.2017 द्वारा विभाग के स्वीकृत पद, दूरभाष, कम्प्यूटर, वाहन तथा परिसंपत्तियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है। **कृपया उक्त जानकारी निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः प्रेषित की जाए।**

9. महालेखाकार द्वारा सूचित किया गया है कि कतिपय मुख्य शीर्षो में ऐसे उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष सम्मिलित किए गए हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षो की सूची में शामिल नहीं हैं। लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के स्थान पर योजना/व्यय की प्रकृति के आधार पर यथासंभव निकटतम लघु शीर्ष प्रयुक्त किया जाए। **यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए कि समस्त योजनाओं का वर्गीकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित अद्यतन लेखा शीर्षो में ही किया जाए।**

10. **आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान संबंधी उद्देश्य शीर्ष #14 के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर स्थापना अनुदान, अधोसंरचना अनुदान, विकास कार्य हेतु अनुदान, वैयक्तिक अनुदान आदि को पृथक–पृथक प्रावधान कर दर्शाया जाए ।**

11. त्यौहार अग्रिम तथा चिकित्सा अग्रिम के अनुमानों के प्रस्ताव निवल (Net) के आधार पर शामिल किया जाए।

12. अपरीक्षित नवीन व्यय के रूप में प्रस्ताव यथासंभव बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।

13. बजट प्रस्तावों के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण स्पष्टीकरणात्मक टीप के रूप में दिया जाए, जिसमें योजना का स्वरूप तथा उद्देश्य का उल्लेख किया जाए। योजनाओं की वित्त पोषण व्यवस्था यथा–भारत सरकार, वित्तीय संस्थाएं, विदेशी सहायता, राज्य शासन आदि के संबंध में टीप दी जाए, **जिसमें केन्द्र/एजेंसी का अंश व राज्यांश के अनुपात का स्पष्ट उल्लेख हो।** केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय, विशेष/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाओं का नाम एवं प्रकार केन्द्र शासन के स्वीकृति आदेश की अनुरूप ही उल्लेख किया जाए। विशेष रूप से बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं, **जिनमें केन्द्र क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित, निगम सहायित एवं अन्य विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं सम्मिलित हैं, में अनुदान व ऋण के रूप में प्राप्त राशि को पृथक–पृथक भी बताया जाए।** इससे राज्य पर पड़ने वाले ऋण भार का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा।

ऐसी केन्द्र प्रवर्तित/फ्लैगशिप योजनाएं (जैसे–PMGSY, MNREGA, IAY, SGSY, SSA, KGBV, NPEGEL, NRHM, NCLP etc.) जिनमें पूर्व में केन्द्रांश की राशि सीधे विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/एजेंसी को प्राप्त होती थी, को वर्ष 2017–2018 से भारत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि में जमा किए जाने की व्यवस्था की गई हैं एवं इस हेतु विभागों के वर्ष 2017–2018 के बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया गया है। विभाग कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी योजनाओं के केन्द्रांश के लिए वर्ष 2017–2018 के पुनरीक्षित अनुमानों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित allocation के अनुरूप तथा वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमान में पुनरीक्षित अनुमान 2017–2018 के आधार पर ही केन्द्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश का प्रावधान प्रस्तावित किया जाए।

14. लेखा शीर्षो के अंतर्गत यथावश्यक निर्धारित किए गए सेगमेंट शीर्ष तथा विकास शीर्षो का उपयोग किया जाए।

15. राज्य शासन द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकरों की आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों जैसे ग्रामीण विकास निधि, शाला विकास निधि, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि, ऊर्जा विकास निधि, केन्द्रीय सड़क निधि आदि से अंतरित राशि व्यय के लिए विभिन्न विभागों के बजट में योजनाओं पर व्यय करने के लिए प्रावधान दर्शाया जाता है, उनके लिए कृपया वही सेंगमेंट दर्शाया जाए, जो निर्धारित है तथा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि भी कृपया स्पष्टतः दर्शायी जाए।

16. **डिक्री धन के भुगतान तथा ऐसी योजना अथवा व्यय जिसे भारत के संविधान तथा नियम/अधिनियमों के अनुसार भारित व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसे समस्त व्यय भारित व्यय के अंतर्गत प्रावधान करने हेतु प्रस्तावित किए जाएं।**

17. कार्यालय व्यय के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय में प्रावधान न्यूनतम प्रस्तावित किया जाए तथा यह व्यय जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, उसका कृपया स्पष्ट उल्लेख करें अन्यथा वर्ष 2018–2019 के बजट में यह प्रावधान शून्य कर दिया जाएगा।

18. उपरोक्त प्रस्ताव शून्य आधारित बजट प्रणाली को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए ।

19. **राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय का सही वर्गीकरण दर्शाया जाए। उद्देश्य शीर्ष # 28 मशीन उपकरण एवं # 34 वाहनों का क्रय को पूंजीगत व्यय की मदों में दर्शाया जाए।**

20. **वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 18/2011 दिनांक 13 मई, 2011 द्वारा नई सेवा/सेवा के नये साधन की वित्तीय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। कृपया उक्त निर्देश में दी गई व्यय के नवीन मदों/सेवाओं की परिभाषा, वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए समस्त नवीन व्यय के प्रस्तावों को पूर्ण औचित्य सहित पृथक से नस्ती में वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाए।**

21. किसी भी संस्था/स्वायत्त निकायों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि एवं संस्था का उल्लेख स्पष्टतः किया जाए। **यह भी स्पष्ट किया जाए कि संस्था/निकाय को दिया जाने वाला अनुदान आवर्ती अथवा अनावर्ती है एवं किन प्रयोजनों पर व्यय किया जाना है।**

22. विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक अनुदान प्राप्त संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या तथा उनका वेतनमान दर्शाने वाला पत्रक के आधार पर गणना पत्रक अनिवार्यतः संलग्न किया जाए। गणना का आधार छठवें वेतनमान को लिया जावे।

23. **यदि किसी योजना का कोई भाग सब्सिडी के रूप में दिया जाता है तो उस योजना के साथ सब्सिडी की राशि का उल्लेख पृथक से उद्देश्य शीर्ष # 13 के अंतर्गत**

स्पष्टतः किया जाए। नकद एवं सामग्री के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी को पृथक–पृथक दर्शाया जाए।

24. विभाग द्वारा अपनें अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर एवं उपकरणों की उपलब्धता एवं आवश्यकता का आकलन कर संभावित आवश्यकता हेतु बजट के साथ ही प्रस्ताव भेजा जाए।

25. वर्ष 2014–2015 **से कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना में नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के वेतन का पृथक उद्देश्य शीर्ष # 07 आबंटित किया गया है। बजट 2017–2018 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 2018–2019 के बजट अनुमान # 07 कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के अंतर्गत विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गणना पत्रक एवं इन पदों की सक्षम स्वीकृति आदेश सहित प्रेषित किए जाएं।** मजदूरी मद में राशि का प्रस्ताव अनुमानित करते समय मजदूरी भुगतान का आधार स्पष्ट करना चाहिए। **इस मद में बजट प्रस्ताव आवश्यकता एवं औचित्य सहित # 02 अंतर्गत संबंधित विस्तृत शीर्ष में प्रस्तावित किए जाएं।**

26. **वर्ष 2018–2019 में सांतवें वेतनमान अंतर्गत मूल वेतन का 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता हेतु** अनुमानित प्रावधान रखा जाए।

27. **राजस्व प्राप्ति तथा पूंजीगत व्यय के प्रावधानों में चालू वर्ष के अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमानों के बीच तथा पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष के अनुमान के बीच उल्लेखनीय अंतर को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए टीप दी जाए।**

(अरविन्द कुजूर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी